१६ २/२१ वकील नायब उप0। समय अभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। वास्ते आदेश पत्रा. दिनांक 23.2.21 को पेश हो।

२३ २/२१ वकील नायब उप0। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लेखबद्ध आदेश अस्थायी पत्रावली शामिल की गयी। पत्रावली फैसला अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा बाद तामील [illegible] दाखिल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:37:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर (राज०)
पीठासीन अधिकारी - श्री गंगाधर मीणा RAS

मुकदमा नं०	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
146/2017	26.09.2017	23.02.2021

अनुवान

[1] अमरसिंह पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी आकोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

[1] हंसराज पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी आकोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
[2] उप पंजीयक महोदय, कोटकासिम जिला अलवर
[3] राज० सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अं.धा. 212 रा.टी.ए. आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित -
[1] श्री रामफल यादव अभिभाषक प्रार्थी
[2] श्री कुलीचन्द यादव अभिभाषक अप्रार्थी सं.1

प्रार्थी ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अं.धा. 212 R.T.Act. का इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी ख.नं. 46/0.2800, 59/0.1200, 73/0.6200, 94/0.39[illegible], 221/0.0700, 222/0.0500, 283/0.1400, 291/0.1300, [illegible], 509/0.9200, 524/[illegible], 531/[illegible], 324/0.3800, 483/0.3200, 27/2.0000, 125/0.1900, [illegible]/0.5100, [illegible]/0.1000, [illegible], 99/0.1300, 416/0.7700, [illegible] हैक्टेयर वाकै ग्राम आकोली तहसील कोटकासिम में उसका खातेदार काश्तकार श्री जयनारायण पुत्र

लगातार

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:37:01 IST
Reason: SelfAttested

श्री मंगराम थे। जिनकी मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण सं. 542 बिना प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व स्व. प्रतिवादिया राजेश के नाम दर्ज हो स्वीकार हुआ। आराजी मुतदाविया में राजेश पुत्री जयनारायण अपने हिस्से की आराजी जरिये गिफ्टडीड अपने सगे भाई अमरसिंह व हंसराज के हक में करा गई, तथा चन्द्रकला पत्नी जयनारायण का हिस्सा अमरसिंह व हंसराज दोनों के 1/2-1/2 भाग बाहमी बराबर कर समान भाग में बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। मगर अप्रार्थी सं. 1 हंसराज राजस्थान पुलिस में नौकरी करता है) और एक चालाक, धोखेबाज व अपने आपको फायदा - पहुंचाने की नीयत से अपनी माताजी चन्द्रकला को पेंशन का लालच देकर व बहला फुसला के लाया चूंकि चन्द्रकला की उम्र 80 वर्ष से अधिक थी। सुनने व देखने में सक्षम नहीं थी, अनपढ़ औरत थी जैसा कि गिफ्ट डीड दिनांक 1.8.17 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गवाही भी सतेन्द्र पुत्र हंसराज की है। इससे साफ जाहिर होता है कि हंसराज व सतेन्द्र दोनों पिता-पुत्र ने एक सोची समझी एक कुरचना रचते हुए और अपने आपको फायदा पहुंचाने की गरज से यह गिफ्ट डीड दिनांक 1.8.17 को करा ली जबकि कानूनन ये दोनों पुत्रों अमरसिंह हंसराज व स्व. प्रतिवादिया राजेश को समान भाग में होनी चाहिये थी। दर हकीकत यह है कि चन्द्रकला को जब इस वाकया की जानकारी हुई कि हंसराज ने अपने अकेले के नाम सम्पूर्ण हिस्से की गिफ्ट डीड अपने नाम करा ली तो उस दिन से ही अन्न जल का त्याग कर दिया और कुछ दिन बाद ही स्वर्गवास हो गया। इस गिफ्ट डीड की जानकारी दिनांक 7.9.17 को प्रार्थी को हुई और दिनांक 8.9.2017 को नकल जमाबंदी हल्का पटवारी से प्राप्त कर अप्रार्थी सं. 1 को चन्द्रकला का हिस्सा बिना प्रार्थी व स्व. प्रतिवादिया के नाम कराने की बात कही तो साफ इन्कार कर दिया और [illegible] हिस्सा में नाम करने की धमकी दी इसलिये बिना [illegible] को हुक्म इम्तनाई चन्द्ररोजा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र यह स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:37:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि वादी द्वारा वाद मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है। राजेश्वर पुत्री जयनारायण ने अपना हक हिस्सा पूर्व में ही रिलीज कर दिया था। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि चन्द्रकला के हक हिस्से की आराजी का 1/2, 1/2 भाग पर अलग-2 काश्त कर रहे है। इसराज सा. पुलिस में नौकरी नही करता है प्रार्थी ने जानबूझकर चतुराई से उक्त तथ्य पेश किये है। और ना ही मैंने प्रतिवादी/अप्रार्थी के द्वारा कोई गलत साजी की है और ना ही उनको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की नीयत से कोई कृत्य किया है। जबकि चन्द्रकला पत्नि जयनारायण सुनने व समझने बिल्कुल सक्षम थी उन्हे अपने अच्छे व बुरे की पूर्ण रूप से जानकारी थी, चन्द्रकला काफी समय से ही गांव में पूर्व में ये बात कहती आ रही थी कि मैं अपना हक हिस्सा मैंन प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 1 को दूंगी क्योंकि मैंन अप्रार्थी सं. 1 की सहायता काफी समय पूर्व से ही बीमार रहा करती थी जिसकी सेवा टहल खान आदि प्रार्थी/वादी के द्वारा नही की गई जबकि उसको घर छलका देकर बाहर निकाल दिया गया। मैंन अप्रार्थी उस वक्त आर.ए.सी. में नौकरी किया करता था। तब से अपनी माँ चन्द्रकला की देखभाल करता आ रहा था व समय-2 पर उनको अवश्यकता अनुसार जरूरत की चीजो की व्यवस्था करता चला आ रहा था। वादी/प्रार्थी ने यह तथ्य बिल्कुल गलत पेश किया है कि चन्द्रकला की रिलीज की जानकारी बाद में हुई बल्कि माता चन्द्रकला को तो उसकी भी जानकारी पहले से ही थी क्योंकि वो गांव में पहले से ही अपने हक हिस्से की रिलीज मैंन प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 1 के नाम कहते चली आ रही थी। माता चन्द्रकला के द्वारा श्री मान उप पंजीयक द्वारा को भी यह बताया कि मैं अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव व बहकावे के अपना सम्पूर्ण [illegible] हिस्सा मैंन प्रतिवादी सं. 1 इसराज के हक में करना चाहती हूं [illegible] अंगूठा व हस्ताक्षर करवाये। प्रार्थी द्वारा [illegible] अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थी को भी हस्तक्षेप प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:37:01 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता की प्रार्थी की सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित आराजीयात के असल खातेदार काश्तकार श्री नारायण पुत्र मैराम थे जिनकी मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण सं. 592 बिना प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 तथा तत्कालीन प्रतिवादिया राजेश के नाम दर्ज हो स्वीकार हुआ। आराजी मुश्तरका में राजेश पुत्री नारायण अपने हक हिस्से की आराजी नाजायज रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड अपने सगे भाई अमरचंद व इन्द्रराज के हक में करा गई। तथा चन्द्रकला पत्नि नारायण का हिस्सा अमरचंद व इन्द्रराज दोनों ने 1/2, 1/2 भाग में बाद में बटवारा कर समान भाग में वर्तमान खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। इन्द्रराज जो राजस्थान पुलिस में नौकरी करता था वो हद चालाक व अपने आपको ज्यादा पहुंच वाले की नीयत से अपनी माताजी चन्द्रकला को पेंशन का झांसा देकर कोर्ट कचहरी ले जाता। चन्द्रकला की उम्र 80 वर्ष से अधिक थी सुनने व समझने में सक्षम नहीं थी और अनपढ़ थी। जैसा कि गिफ्टडीड दिनांक 1.8.17 से साफ जाहिर है कि गिफ्टडीड पर गवाह सतेन्द्र पुत्र इन्द्रराज की है जो पिता व पुत्र हैं। उक्त बाबत की जानकारी जब चन्द्रकला को हुई कि मेरा सम्पूर्ण हक हिस्सा इन्द्रराज ने गिफ्टडीड करा लिया तो उन्होंने अन्न जल त्याग कर दिया और कुछ दिन बाद स्वर्गलोक सिधार गई। मेरी माताजी के समस्त हक हिस्से को धोखे से इन्द्रराज ने अपने नाम गिफ्टडीड करा लिया और दुरूस्त रा अपने नाम व तत्. अप्रार्थिया के नाम करने को कह तो बेचान की धमकी थी। जिससे प्रार्थी का केस प्रथमदृष्टया साबित होता है और जब प्रथमदृष्टया प्रार्थी का केस है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है। और यदि अप्रार्थी सं. 1 ने अपने हिस्से की आ[illegible]या तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। तीनों बिन्दु प्रार्थी [illegible] है। अतः अप्रार्थी सं. 1 को हुक्म तामिली [illegible] किया जावे। RLW 2014(1) Page 618, 619, 620, 621, RLW [illegible], RAT 2018(2) Page 1370, 1371, 1372 का हवाला पेश किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 का कथन है कि राजेश पुत्री

लगातार

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:37:01 IST
Reason: SelfAttested

नारायणलाल ने अपना हिस्सा दोनों लड़कियों को विक्रय कर दिया और माँ चन्द्रकला ने अपना हिस्सा प्रतिवादी हंसराज को विक्रय कर दिया। माँ द्वारा किया गया विक्रय डीड के आधार पर नामान्तरण किया गया है कि उसको अपने स्वयं विवेक के हक हिस्सेदारों को अपने से असमर्थित, हंसराज व राजेश तीनों को कहना चाहिये पर उस कारण से विक्रय डीड कानूनन वैध नहीं है। वादी राजेश के द्वारा किये गये विक्रय डीड को तो वह वैध मानता है, और माँ द्वारा किये गये विक्रय डीड को अवैध बताता है। राजेश ने भी तो अपनी माँ को विक्रय नहीं किया वादी सिर्फ कहकर चूक नहीं कर सकता। वादी को जिस चीज से लाभ मिलता है उसको तो वह वैध बताता है, और जिस चीज से लाभ नहीं मिलता उसे अवैध बताता है। यदि चन्द्रकला द्वारा किया गया विक्रय अवैध है तो राजेश द्वारा किया गया विक्रय भी अवैध है। नाबालिग वादी चन्द्रकला द्वारा किये गये विक्रय डीड को चैलेन्ज करने से स्पष्ट है वादी के कार्यकलाप से ही साबित है कि वह खुद इस सेक्शन अदालत में नहीं आया है नाबालिग वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। एक पर हिस्सेदार को पूरा हक है कि वह किसी को विक्रय करता है। हंसराज प्रतिवादी ने अपनी माँ चन्द्रकला की अन्तिम समय तक सेवा की और वादी ने उसे घर से निकाल दिया। माँ की सेवा रहन करने के कारण माँ द्वारा प्रतिवादी हंसराज को विक्रय किया। अतः वादी किसी भी प्रकार से दुर्भावनापूर्ण चन्द्रकेश पाने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी हंसराज को अपना हिस्सा बेचान करने का पूरा अधिकार है जैसा कि RLW 2009 (1) RJ Page 483, R.R.D 2004 Page 65, R.B.J 2006 Page 21, R.R.D 1997 Page 470, RBJ 1995 Page 66 (2000) 10 S.S.C 635 को भी रेफर किया है।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद पत्र से विदित प्रकट व अधीन सं. 1 की माता … /12 भाग की चाही गई है। वादी अधिवक्ता का कथन है कि … के बहाने ऐसी अपनी को लेकर गया और … चन्द्रकला का हिस्सा विक्रय डीड करवा लिया … सहमति आज्ञा में होनी चाहिये थी। अधीन सं. 1 अधिवक्ता का कथन है कि मैंने अपनी माता चन्द्रकला की

लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:37:01 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

होना दर्शाया गया। प्रार्थी ने इस बात को स्वीकार किया और बहुत पहले से ही मेरी भाभी चन्द्रकला कहती थी कि मेरे हिस्से की भूमि को अप्रार्थी सं. 1 को नाम करवादी। प्रार्थी अधिवक्ता का यह भी कहना है कि रिकॉर्ड पर गलत इन्द्राज किया हुआ है। दोनों अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाकर उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। चन्द्रकला के भाग आराजी को [illegible] आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 29.9.17 से चन्द्रकला के भाग आराजी को [illegible] अप्रार्थी सं. 1 को और [illegible] से मुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:37:01 IST
Reason: SelfAttested